राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांकः एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / व्य.ला.का. / पार्ट–3 / 2015 (पार्ट–1) जयपुर, दिनांक 2 APR 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" सम्बन्धी दिशा–निर्देश 2011 के बिन्दु सं. 7(i) एवं 7(iii) में संशोधन बाबत।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / व्य.ला.का. / 2011 दिनांक 04.05.2011 एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर का पत्रांक जिपसी / परिपत्र / 15–16 / 10092 दि. 19.02.2016।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.02.2016 द्वारा अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत स्वीकृत व्यक्तिगत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के क्रम में प्रासंगिक दिशा–निर्देश दि. 04.05.2011 के बिन्दु सं. 7(i) एवं 7(iii) में संशोधन किये जाने का आग्रह किया है। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य 'अपना खेत अपना काम' सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिनांक 04.05.2011 के बिन्दु सं. 7(i) एवं 7(iii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

क्र.सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	बिन्दु सं. 7(i) "व्यक्तिगत लाभ के इन कार्यों पर स्वयं के कार्य पर लगातार काम करना आवश्यक है।"	"जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् अन्य परिवार के जॉब कार्ड धारी इच्छुक परिवार के सदस्यों से कार्य कराया जा सकेगा।"
2.	बिन्दु सं. 7(iii) "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि औसतन एक कार्य पर एक पखवाड़े में एक समय में साधारणतः 10 से अधिक श्रमिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि खेत पर इससे अधिक श्रमिक होने पर प्रबन्धन में कठिनाई आती है।"	"यदि कार्य स्थल पर पर्याप्त कार्य एवं कार्य करने हेतु जगह उपलब्ध है, तो एक कार्य पर एक पखवाड़े में अधिकतम 20 श्रमिक तक नियोजित किये जा सकेंगे, लेकिन मेट का नियोजन नहीं किया जावेगा।"

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे।

भवदीय,

2/4/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मान. मंत्री महो., ग्रावि एवं परावि/कृषि/राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पराविं।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन डाईरेक्टर, राजीविका।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
10. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
11. निदेशक, उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
13. आचार्य, ग्राम सेवक/पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर), अजमेर, डूंगरपुर।
14. परियोजना निदेशक, एमपॉवर परियोजना, जोधपुर।
15. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद् समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस